संख्या–वे0आ0–2– 253 / दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
मनोरंजन कर विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 01 जून, 2012

विषयः वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–7) में मनोरंजन कर विभाग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा मनोरंजन कर विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–7) में दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिया गया है :––

(1) जिला मनोरंजन कर अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600 के स्थान पर वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाए।

(2) विभाग में पी0सी0एस0 संवर्ग से भरे जाने वाले उपायुक्त मनोरंजन कर के 02 पदों में से 01 पद संयुक्त आयुक्त मनोरंजन कर वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/– के स्तर पर तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत किया जाय और संयुक्त आयुक्त के उक्त पद को विभागीय संवर्ग के उपायुक्त से पदोन्नति के माध्यम से भरा जाये। उपायुक्त के दूसरे पद को पी0सी0एस0 संवर्ग से ही भरे जाने की व्यवस्था बनाये रखी जाय।

(3) जिन जनपदों में जिला स्तरीय अधिकारी के पद जिला मनोरंजन कर अधिकारी अथवा सहायक आयुक्त मनोरंजन कर अथवा उपायुक्त मनोरंजन कर के पद सृजित नहीं है, उन जनपदों के लिए मनोरंजन कर निरीक्षक के एक–एक पद को आरथगित करते हुए जिला मनोरंजन कर अधिकारी के पद सृजित किये जायें।

(4) मनोरंजन कर विभाग के लेखा निरीक्षक के वर्तमान पदों से लेखा परीक्षक संवर्ग का गठन किया जाए। वर्तमान पदधारकों द्वारा पद रिक्त किये जाने की स्थिति में इन पदों पर नियुक्तियां लेखा परीक्षा संवर्ग के लिए निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जाएं।

(5) सामान्य श्रेणी के पदों यथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक, लिपिकीय संवर्ग, आशुलिपिक संवर्ग तथा सांख्यकीय संवर्ग आदि के सम्बन्ध में सामान्य कोटि के पदों/संवर्गों के सम्बन्ध में संस्तुतियॉ अलग

से दी जा चुकी हैं। मनोरंजन कर विभाग के सामान्य श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में भी तद्नुसार कार्यवाही की जाए।

(6) मनोरंजन कर विभाग के अन्य पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखे जायें।

कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या–वे0आ0–2–253(1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
संयुक्त सचिव।